# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 147/2007</u>

श्री गुरदीप सिंह सेहमी,
आत्मज स्व0 श्री मोहन सिंह सेहमी,
एन.सी.117, एम.पी.ई.बी. कालोनी (ईस्ट),
कोरबा (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

*विरूद्ध*

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन),
हसदेव ताप विद्युत गृह,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (पश्चिम),
पोस्ट–जमनीपाली–495.450 जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
( <u>दिनांक 14 मई 2007</u> )

श्री गुरदीप सिंह सेहमी निवासी–एम.पी.ई.बी. कालोनी, कोरबा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

**2/** प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री गुरदीप सिंह सेहमी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता (उत्पादन), हसदेव ताप विद्युत गृह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से जानकारी चाही थी कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किस दिनांक को किया गया तथा वर्तमान में मंडल का स्वरूप क्या है? यह अर्द्धशासकीय संस्था पब्लिक लिमिटेड/निगम/ स्वायत्तशासी संस्था/ निजी संस्था या फर्म में से क्या है? जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 12–06–2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित उर्जा विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2000 की छायाप्रति दी। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य अभियंता (उत्पादन), हसदेव ताप विद्युत गृह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में आदेश पारित न करने के फलस्वरूप द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की गई।

**3/** आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने लिखित में अनुरोध किया कि उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण के आधार पर आयोग के द्वारा निर्णय लिया जावे। प्रतिअपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक को सुना गया।

**4/** प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन की जानकारी चाही थी, जो कि अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2000 की छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित प्रति के साथ दी गई। अधिसूचना क्रमांक–18 एवं अधिसूचना क्रमांक–22 दोनों को सम्मिलित कर पढ़ने से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह अवश्य है कि यह जानकारी निर्धारित अवधि 30 दिन के अवधि के 06 दिन पश्चात् दी गई है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि उक्त जानकारी के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मुख्यालय से मार्गदर्शन लेने में समय लगा, अतः जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है।

5/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्वरूप अर्द्धशासकीय संस्था, स्वायत्तशासी संस्था या निजी संस्था में किस प्रकार का है। इसकी जानकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा उसे नहीं दी गई। प्रतिअपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त एवं विधि स्नातक हैं, अतः अपीलार्थी को अधिसूचना से स्वयं समझ लेना चाहिये कि मंडल का स्वरूप क्या है। जन सूचना अधिकारी को स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को सूचित किया जाना चाहिये था कि यदि अपीलार्थी के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में लिखित संस्थाओं के स्वरूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पृथक है तो उसे अस्वीकार करते हुये वास्तव में राज्य में विद्युत मंडल का स्वरूप क्या है यह बतलाया जाना चाहिये।

6/ यद्यपि अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी समयावधि में नहीं दी गई है, क्योंकि प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी देने में विलम्ब नहीं किया गया। अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है। जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आयोग का आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के स्वरूप के संबंध में निःशुल्क जानकारी प्रदान करे।

7/ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील मुख्य अभियंता (उत्पादन), हसदेव ताप विद्युत गृह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा को प्रस्तुत की, किन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं किया है। निर्धारित अवधि के पश्चात् दिनांक 27–01–2006 को अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अपील के संबंध में जाँच की जा रही है तथा तत्संबंध में उचित रूप से शीघ्र सूचित किया जावेगा। इसके पश्चात् भी अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के संबंध मे कोई निर्णय नहीं दिया। इससे अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। उनका यह कृत्य अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति उनकी लापरवाही को स्पष्ट करता है। अतः अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ भेजा जावे कि वे मुख्य अभियंता (उत्पादन) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, हसदेव ताप विद्युत गृह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के विरूद्ध इस कृत्य के लिये आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करें।

8/ अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब के कारण आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत मुख्य अभियंता (उत्पादन), हसदेव ताप विद्युत गृह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को 500/– रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

9/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त